अपील - 2692-II/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक –दो/2016 अपील

1– श्रीमती बती पत्नि स्वर्गीय पप्पू

2– कु0 बसन्ती

3– कु0 धन्ती

4– कु0 सोनो पुत्रियाँ कुँजा

5– जनवेद

6– बनवारी दोनों पुत्रगण कुँजा

7– कु0 लच्छी पुत्री मान सिंह

8– लक्ष्मण पुत्र मान सिंह

9– रमेश पुत्र मान सिंह सभी आदिवासी
सभी निवासी ग्राम कठमई ठकुरपुरा
एंव ग्राम नौहरी खुर्द
तहसील व जिला शिवपुरी ----अपीलान्ट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी ----रिस्पोण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा 44, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 300/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 29 जून, 2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030–2

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 2692–दो/2016 अपील जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
16.8.16	यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 300/2015–16 अपील में पारित आदेश दि. 29 जून 2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट्स ने कलेक्टर, शिवपुरी के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उनके नाम पर ग्राम नौहरी खुर्द की भूमि सर्वे कमांक 318 रकबा 2.717 हैक्टर, सर्वे कमांक 322 रकबा 3.135 हैक्टर, सर्वे कमांक 332रकबा 0.418 हैक्टर,सर्वे कमांक 324 रकबा 0.627 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.897 हैक्टर भूमि संयुक्तरूप से शासकीय अभिलेख में अभिलिखित है जिसके वह रिकार्डेड भूमिस्वामी है। यह भूमि शासन से पटटे पर प्राप्त नही है, पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। भूमि कम उपजाउ एंव असिंचित होने से वह उक्तांकित भूमि में से अल्पवयस्कों के हिस्से की भूमि छोड़कर वयस्कों की कुल 4.80 हैक्टर भूमि विकय करना चाहते हैं एंव विकय धन प्राप्त होने पर वह अशोकनगर जिले की चन्देरी तहसील के ग्राम मुंगेरी में सिंचित भूमि कय करेंगे, इसलिये विकय की अनुमति प्रदान की जावे। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 30/2013 –14 अ –21 दिनांक 12–2–14 को	

प्र0क0 2692-दो/2016 अपील पॅजीबद्ध करते हुये इसी आर्डरशीट से अपीलांट्स का विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स ने राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में अपील कमांक 1517-तीन/ 2014 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 4-8-2014 से इस आधार पर निरस्त की गई है कि सर्वप्रथम अपीलांट्स संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी कम में अपीलांट्स ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 300/2015-16 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 29-6-2016 से निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट्स के अभिभाषक एंव रिस्पाण्डेन्ट की ओर से पैनल अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख तथा खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि खसरों में अभिलिखित अनुसार अपीलांट्स एंव अन्य ग्राम नौहरी खुर्द की भूमि सर्वे कमांक 318 रकबा 2.717 हैक्टर, सर्वे कमांक 322 रकबा 3.135 हैक्टर, सर्वे कमांक 332 रकबा 0.418 हैक्टर, सर्वे कमांक 324 रकबा 0.627 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.897 हैक्टर के रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसमें से बयस्कों के नाम की भूमि छोड़कर शेष वयस्क भूमिस्वामियों की 4.80 हैक्टर भूमि विकय करने की अनुमति मांग रहे है । उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से

पाया गया अपीलांट्स को उक्तांकित भूमि म0प्र0शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि नहीं है अपितु उन्हें पूर्वजों से विरासत में प्राप्त भूमि है। विचार योग्य है कि क्या विरासत में प्राप्त भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विकय करने की अनुमति दी जा सकती है ?

1. फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा0नि0 256 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) तथा 158(3) का लागू होना – उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया– उपबंध आकर्षित नहीं होते । भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) तथा 158(3) का लागू होना – उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया–उपबंध आकर्षित नहीं होते।

काल्पनिक–तौर पर यह मान भी लिया जाय कि वाद विचारित भूमि पटटे की है परन्तु पटटे की भूमि का भूमिस्वामी क्या भूमि विकय नहीं कर सकता ?

(कैलाश तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2005 रा0नि0 66 में व्यवस्था दी गई है कि आवंन्टन में प्राप्त की गई भूमि का विकय आवंटन दिनांक से 10 वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता। इसका आशय यही है कि पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष निरन्तर खेती की गई, ऐसा पटटाधारी 10 वर्ष उपरांत भूमिस्वामी होने से भूमि का विकय कर सकता है)
विचाराधीन प्रकरण में भूमि पटटे की नहीं है अपितु पूर्वजों से

विरासत में प्राप्त है एंव शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को ग्राम नौहरी खुर्द की भूमि सर्वे कमांक 318 रकबा 2.717 हैक्टर, सर्वे कमांक 322 रकबा 3.135 हैक्टर, सर्वे कमांक 332 रकबा 0.418 हैक्टर, सर्वे कमांक 324 रकबा 0.627 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.897 हैक्टर में से बयस्कों के नाम की 4.80 हैक्टर भूमि विकय करने की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 300/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 29 जून 2016 एंव अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 30/2013-14 अ-21 में पारित दिनांक 12-2-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अपीलांट्स को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम नौहरी खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 318 रकबा 2.717 हैक्टर, सर्वे कमांक 322 रकबा 3.135 हैक्टर, सर्वे कमांक 332 रकबा 0.418 हैक्टर, सर्वे कमांक 324 रकबा 0.627 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 6.897 हैक्टर में से अल्प वयस्कों के हित की भूमि छोड़ते हुये वयस्क खातेदार अपीलांट्स के हिस्से की 4.80 हैक्टर भूमि विकय के करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सदस्य